प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

क्र./व्यापम/5–प–1/ / /2015 भोपाल, दिनांक

// आदेश//

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का आयोजन दिनांक 15.04.2012 को किया गया था। इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.07.2012 को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में एसटीएफ की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक 12/2014 थाना एसटीएफ, भोपाल में दर्ज किया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 3821/2015 भूप सिंह जाटव विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2015 एवं 30.06.2015 के प्रकाश में तथा एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकारण से संबंधित उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रतिवेदन हेतु मण्डल द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

3. समिति द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों का गहइन परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि भूप सिंह जाटव के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुआ है जिसकी पुष्टि उप पुलिस अधीक्षक, जोनल फिंगर प्रिंट ब्यूरों भोपाल जोन, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 29.05.2014 से भी होती है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि परीक्षा में सम्मिलित हुये व्यक्ति एवं मूल अभ्यर्थी के अंगूठे के निशान एवं दूसरे से भिन्न है।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में, प्रकरण के संबंध में अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये बोर्ड द्वारा जारी पत्र के तारतम्य में अभ्यर्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक, प्रमाणित, तथ्यात्मक तथा सकारात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उप पुलिस अधीक्षक, जोनल फिंगर प्रिंट ब्यूरों भोपाल जोन, भोपाल द्वारा प्रमाणित तथ्यों का निराकरण होता है।

5. उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण का समग्र अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि यह प्रकरण अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में सम्मिलित कराने से संबंधित है, जो कि स्पष्ट रूप से पररूपधारण की श्रेणी में आता है। अभ्यर्थी का यह कृत्या परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है। जिस कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। परीक्षा की नियमपुस्तिका की कुण्डिका–1.6 एवं 2.11 में निहित प्रावधान के अंतर्गत भूप सिंह जाटव के प्रकरण को अनुचित साधन (यूएफएम) मान्य करते हुये उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
व्यापम, भोपाल

पृ.क्र./व्यापम/5–प–1/ 8663/2015 भोपाल, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, सीबीआई, अन्वेषक परिसर, चार इमली, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, वन विभाग जिला– सागर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. जनसंपर्क शाखा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री...की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
व्यापम, भोपाल